

26		सूरजदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि0ग्रा0													
27	194	रामउजागिर पुत्र श्रीरामसिंह नि0ग्रा0	57अ	0.0050	77000	154000	22868		99868	30305	176868	384041			
28		सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र श्रीरामसिंह नि0ग्रा0													
29		रामलक्ष्मिनसिंह पुत्र केशवसिंह नि0ग्रा0													
30		हवलदारसिंह पुत्र केशवसिंह नि0ग्रा0													
31		प्रभवती देवी पत्नी रामसुन्दर													
32		तालुकदार सिंह पुत्र केशवसिंह नि0ग्रा0													
33		विजयकुमार सिंह पुत्र सूबेदार सिंह नि0ग्रा0		0.0065	100100	200200	774213		874313	265312	974413	2214138			
34		अजयकुमार पुत्र सूबेदार सिंह नि0ग्रा0													
35		विकासकुमार पुत्र सूबेदार सिंह नि0ग्रा0													
36		प्रभादेवी पत्नी स्व0सूबेदारसिंह नि0ग्रा0													
योग				0.2324	3578960	7157920	797081	297870	4673911	1418308	8252871	17924050			

सक्षम् प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या : 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 चार लेन/2015-16/17878 दिनांक : 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 के नियम 30 (2) के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र मे दर का निर्धारण।

फार्म 11

ग्राम-ढाखापुर, परगना - चाँदा, तहसील - लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर

क्र० सं०	खातासं०	कास्तकार / भू-स्वामी का नाम व पता	सर्वेक्षण/ गाटा सं०	अर्जित रकबा (हे० में)	अर्जित भूमि का मूल्य 6500000.00 प्रति हे० की दर से (दर X रकबा)	भू०आ०अधि० की धारा 30(2) की प्रथम अनुसूचि के तहत ग्रामीण क्षेत्र का दो गुना अर्थात कालम 5X2	परसम्पत्तियों का विवरण		कालम 5+ 7+ 8 का योग	नये भू-अर्जन अधि० की धारा 30(2) के तहत 12% अति० क्षतिपूर्ण की धनराशि कालम 9 पर दिनांक 23.10.2012 से 05.05.2015 तक कुल 923 दिन पर 30.345205%	नये भू०अ०अधि० की धारा 30(1) के तहत 100 प्रति० सोले० की धनराशि कालम (6+ 7+8 पर)	कुल देय प्रतिकर की धनराशि कालम कालम (6+7+8+10+11) का योग	प्रतिकर की पूर्णांकित धनराशि	हिस्सेवार प्रतिकर	वितरण का दिनांक	अधिकारी के हस्ताक्षर
							संरचना का मूल्य	वृक्ष का मूल्य								
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	24	अभिलाख पुत्र अहिबरन नि०ग्रा०	54	0.0818	531700	1063400			531700	161345	1063400	2288145				
38		बली पुत्र अहिबरन नि०ग्रा०														
39		पुदई पुत्र अहिबरन नि०ग्रा०														
40		गुरुदीन पुत्र अहिबरन नि०ग्रा०														
41	126	रामकरन सिंह पुत्र बजरगीसिंह नि०ग्रा०	56	0.0821	533650	1067300			533650	161937	1067300	2296537				
42		रामबदन सिंह पुत्र बजरगीसिंह नि०ग्रा०					931517		931517	282671	931517	2145705				
43		रामबरन सिंह पुत्र बजरगीसिंह नि०ग्रा०														
44	157	हरिओमसिंह पुत्र सूर्यनारायणसिंह	10ब	0.0588	382200	764400			382200	115979	764400	1644779				
45		सूरजदेई पत्नी सूर्यनारायणसिंह नि०ग्रा०														
46	194	रामउजागिर पुत्र श्रीरामसिंह नि०ग्रा०	57ब	0.0767	498550	997100			498550	151286	997100	2145486				

47	सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र श्रीरामसिंह													
48	रामलक्ष्मिनसिंह पुत्र केशवसिंह													
49	हवलदारसिंह पुत्र केशवसिंह													
50	प्रभावतीदेवी पत्नी रामसुन्दर													
51	तालुकदार सिंह पुत्र केशवसिंह													
52	विजयकुमार सिंह पुत्र सूबेदार सिंह													
53	अजयकुमार पुत्र सूबेदार सिंह नि०ग्रा०													
54	विकासकुमार पुत्र सूबेदार सिंह नि०ग्रा०													
55	प्रभादेवी पत्नी स्व०सूबेदारसिंह नि०ग्रा०													
योग			0.2994	1946100	3892200	931517	0	2877617	873219	4823717	10520653			

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या : 11015/5/पी०डी० वाराणसी/रा०रा० 56 चार लेन/2015-16/17878 दिनांक : 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 के नियम 30 (2) के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में दर का निर्धारण।

फार्म 11

ग्राम-ढाखापुर, परगना - चाँदा, तहसील - लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर

क्र० सं०	खातासं०	कास्तकार / भू-स्वामी का नाम व पता	सर्वेक्षण/ गटा सं०	अर्जित रकबा (हे० में)	अर्जित भूमि का मूल्य	भू०आ०अधि० की धारा 30(2) की	परसम्पत्तियों का विवरण	कालम 5+ 7+ 8 का योग	नये भू-अर्जन अधि० की धारा 30(1) के	नये भू०अ०अ० की धारा 30(1) के	कुल देय प्रतिकर की धनराशि			
----------	---------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	--

					3500000.00 प्रति हे० की दर से (दर X रकबा)	प्रथम अनुसूच क तहत ग्रामीण क्षेत्र का दो गुना अर्थात कालम 5X2	संरचना का मूल्य	वृक्ष का मूल्य		30(2) क तहत 12% अति० क्षतिपूर्ण की धनराशि कालम 9 पर दिनांक 23.10.2012 से 05.05.2015 तक कुल 922	क तहत 100 प्रति० सोले० की धनराशि कालम (6+ 7+8 पर)	कालम कालम (6+7+8+10+11) का योग	प्रतिकर की पूर्णकित धनराशि	हिस्सेवार प्रतिकर	वितरण का दिनांक	अधिक ारी के हस्ताक्ष र
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	120	रामदेव पुत्र रामलखन नि०ग्रा०	18अ	0.1039	363650	727300			363650	110350	727300	1564950				
57		राजदेव पुत्र रामलखन नि०ग्रा०														
58	192	रामउजागिर पुत्र श्रीरामसिंह नि०ग्रा	14	0.1810	633500	1267000			633500	192237	1267000	2726237				
59		सुरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र श्रीरामसिंह														
60		रामलक्षिमनसिंह पुत्र केशवसिंह														
61		हवलदारसिंह पुत्र केशवसिंह नि०गा														
62		तालुकदार सिंह पुत्र केशवसिंह														
63		विजयकुमार सिंह पुत्र सूबेदार सिंह														
64		अजयकुमार पुत्र सूबेदार सिंह														
65		विकासकुमार पुत्र सूबेदार सिंह														
66		प्रभादेवी पत्नी स्व०सूबेदारसिंह														
योग				0.2849	997150	1994300	0	0	997150	302587	1994300	4291187				

सक्षम् प्राधिकारी / अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर